

L. C. BILL No. VII OF 2025.

A BILL

**TO PROVIDE FOR THE CONSTITUTION OF THE MAHARASHTRA
STATE COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES WITH A VIEW TO
PROTECT AND SAFEGUARD THE INTERESTS OF THE SCHEDULED
TRIBES IN THE STATE OF MAHARASHTRA ; AND TO RECOMMEND
REMEDIAL MEASURES FOR THEIR WELFARE AND DEVELOPMENT
AND FOR THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR
INCIDENTAL THERETO.**

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ७ सन् २०२५ ।

महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण और रक्षा करने और उनके
कल्याण और विकास के लिए उपचारी उपाय करने की सिफारिश करने की दृष्टि से,
अनुसूचित जनजातियों के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग का गठन करने तथा तत्संबंधी या उससे
आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण और रक्षा करने और उनके कल्याण और विकास के लिए उपचारी उपाय की सिफारिश करने की दृष्टि से अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य आयोग का गठन करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, २०२५ कहलाए।
(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “आयोग” का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ३के अधीन गठित महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग से है ;
(ख) “सदस्य” का तात्पर्य, आयोग के सदस्यों से है और इसमें अध्यक्ष और सदस्य-सचिव शामिल है ;
(ग) “विहित” का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है ;
(घ) “विनियमों” का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों से है ;
(ङ) “अनुसूचित जनजाति” अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खण्ड (२५) में समनुदेशित अर्थ से है ;
(च) “राज्य सरकार” या “सरकार” का तात्पर्य महाराष्ट्र सरकार से है।

अध्याय दो

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ।

महाराष्ट्र राज्य
अनुसूचित
जनजाति आयोग
का गठन ।

३. (१) राज्य सरकार **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, “महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग” नामक एक निकाय गठित करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी ।

(२) आयोग, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये गये, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा :—

- (क) अध्यक्ष, जो अनुसूचित जनजाति का एक प्रख्यात व्यक्ति होगा ;
(ख) एक सदस्य, जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९५५ और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९ में अधिमानतः उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में अधिवक्ता व्यवसाय के न्यूनतम सात वर्षों का अनुभव रहा है या एक सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश है या उसके समकक्ष पद धारण कर रहा है ;
(ग) एक सदस्य, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का न हो, के राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी में से है ;
(घ) एक सदस्य जो, प्रसिद्ध सामाजिक कार्य या अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास में स्वेच्छिक संगठन या सरकारी संगठन में काम करने का अनुभव रखता है ;

सन् १९५५
का २२।
सन् १९८९
का ३३।

(ड) एक सदस्य जो, भारतीय पुलिस सेवा का सेवानिवृत्त अधिकारी है और सामाजिक न्याय मामलों को संभालने में पर्याप्त अनुभव रखता है :

परंतु, उपर्युक्त सदस्यों में से एक सदस्य महिला होगी :

परंतु आगे यह कि, नामनिर्देशित किए जानेवाले सभी सदस्य अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होंगे।

(च) एक सदस्य-सचिव, जो अवर सचिव से अनिम्न श्रेणी के राज्य सरकार के अधिकारी में से सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त होगा। वह आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और आयोग के शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

४. (१) प्रत्येक सदस्य, उसने पदग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेगा : अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें।
परंतु अध्यक्ष या सदस्य, दो पदावधि से अधिक अवधि के लिये सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(२) सदस्य, किसी भी समय, राज्य सरकार को संबोधित कराकर लिखित में अपने सदस्य के पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(३) राज्य सरकार, अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा सकेगी, यदि वह व्यक्ति,—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया होता है ;

(ख) ऐसे अपराध का सिद्धदोषी है और उसे कारावास का दण्डित किया गया है, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्गुह्य है ;

(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इसप्रकार उसे ऐसा घोषित किया गया है ;

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ रहा है ;

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत प्राप्त किये बिना, आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा है ;

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करता है कि, उस व्यक्ति को पद पर बनाए रखना अनुसूचित जनजातियों या लोकहित के लिए हानिकारक है या अन्यथा राज्य सरकार की राय में ऐसा अध्यक्ष या सदस्य बने रहने के लिए अनुपयुक्त या अननुकूल है :

परन्तु, इस खंड के अधीन पदाधिकारी को तब तक हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है।

(४) उप-धारा (२) या (३) के अधीन या अन्यथा के कारण रिक्ति होने पर राज्य सरकार द्वारा नवीन नामनिर्देशन द्वारा यथाशीघ्र भरी जायेगी और इसप्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति, जिस व्यक्ति की रिक्ति पर नामनिर्देशित हुआ है वह व्यक्ति यदि रिक्ति उपगत न होती तो जब तक पद पर बना रहता, के शेष पदावधि तक अपने पद पर बना रहेगा :

परंतु, यदि अध्यक्ष से अन्य सदस्य की रिक्ति, सदस्य का पदावधि अवसित होने के पूर्व छह महीने के भीतर पाई जाती है तो वह रिक्ति भरी नहीं जायेगी।

(५) अध्यक्ष और सदस्यों को देय मानदेय यदि कोई हो, और पदावधि के निबन्धन और शर्तें ऐसी होगी जैसा की विहित किया जाए।

५. (१) राज्य सरकार, आयोग को, ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक हों सकें। आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी।

(२) आयोग के प्रयोजनार्थ नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जिसे नियमों द्वारा समय-समय पर विहित किया जा सकें।

अनुदानों में से अदा किये जानेवाले मानदेय, वेतन तथा भत्ते। ६. अध्यक्ष और सदस्यों को देय मानदेय, वेतन और भत्ते, तथा धारा ५ में निर्दिष्ट अधिकारियों को और अन्य कर्मचारियों को वेतन तथा भत्ते और पेन्शन समेत प्रशासनिक खर्च, धारा १२ में निर्दिष्ट अनुदानों में से अदा किये जायेंगे।

रिक्तियों आदि के कारण आयोग की कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी। ७. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहियाँ केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी कि, उसमें कोई रिक्ति है या आयोग के गठन में त्रुटि है या अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करनेवाले व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई त्रुटि है या बैठक आयोजित करने के लिये नोटिस जारी करने समेत आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

आयोग द्वारा प्रक्रिया को विनियमित करना। ८. (१) आयोग की बैठक जब भी और जहाँ आवश्यक हो, तब ऐसे समय और स्थान पर होगी जैसा अध्यक्ष सुनिश्चित करे :

परंतु, आयोग तीन महीने में कम से कम एक बैठक लेगा।

(२) आयोग अपनी स्वयं प्रक्रिया को विनियमित करेगा और इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियमों को विरचित कर सकेगा।

(३) आयोग के समस्त आदेश और निर्णय, सदस्य सचिव या इस निमित्त सदस्य सचिव द्वारा सम्यक्तया प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय तीन

आयोग की शक्तियाँ और कृत्य

आयोग की शक्तियाँ। ९. (१) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन जब शिकायतों में जाँच करते समय, सिविल प्रक्रिया सन् १९०८ संहिता, १९०८ के अधीन और विशेषकर निम्न मामलों के संबंध में, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ का ५। प्राप्त होंगी अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर होने हेतु समन भेजना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा कराना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कराना ;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य लेना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आयोगपत्र जारी करना ; और

(च) कोई अन्य मामले जिसे विहित किया जा सके।

(२) यदि आवश्यकता होने पर आयोग, उसकी जाँच रिपोर्ट के साथ उसकी सिफारिशों की प्रतिलिपि सरकार या, संबंधित प्राधिकरण को भेज देगा और सरकार या संबंधित प्राधिकरण आयोग द्वारा, नियत समय सीमा के भीतर, उसपर की गई या की जानेवाली प्रस्ताविक कार्यवाही समेत रिपोर्ट पर उनका अनुपालन अग्रेषित करेगी।

आयोग के कृत्य। १०. (१) आयोग के निम्न कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) भारत के संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जाँच करना, और मानीटर करना तथा ऐसे रक्षोपाय के कार्यों का मूल्यांकन करना ;

(ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों से वंचित रखने और रक्षोपाय के संदर्भ में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जाँच करना ;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में सहयोग और सलाह देना तथा उनके विकास की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना ;

(घ) उन रक्षोपाय के कार्यों पर की रिपोर्ट, आयोग जिसे उचित समझे ऐसे वार्षिक और ऐसे अन्य समय पर सरकार को प्रस्तुत करना ;

(ङ) अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वे रक्षोपाय और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उपायों से संबंधित सिफारिशें की जायेगी ;

(च) अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण और विकास तथा उन्नति के संबंध में जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना ;

(छ) अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं का अध्ययन, अनुसंधान करना और समुचित कार्यवाही करने के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजना ;

(ज) अनुसूचित जनजातियों पर प्रभाव डालनेवाले विधियों के विद्यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना, और उसके संशोधन की रिफारिश करना, ताकि ऐसे विधिविधान में कोई कमी, अपर्याप्तता या त्रुटी पाने पर उपचारी विधायी उपायों का सुझाव दे सके ;

(झ) अनुसूचित जनजातियों के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुकरण की जानेवाली नितियों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण हाथ में लेना ;

(ञ) अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने के समुचित कल्याण उपायों का सुझाव देना :

परन्तु, यदि कोई मामला, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३३८क के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा बरता गया है, तो राज्य आयोग, की ऐसे मामले पर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की अधिकारिता समाप्त होगी।

११. सरकार, अनुसूचित जनजातियों के प्रभावित मामलों में सभी मुख्य नीति पर आयोग को परामर्श देगी।

सरकार का
आयोग से
परामर्श करना।

अध्याय चार

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षक

१२. (१) राज्य सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा राज्य विधानमंडल के माध्यम से सम्यक् विनियोग करने के बाद, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपयोग में लाने हेतु राज्य सरकार, जैसा उचित समझे, राज्य की समेकित निधि में से ऐसी रकम की राशि आयोग को अदा करेगी।

सरकार द्वारा
अनुदान।

(२) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए, वह उचित समझे ऐसी रकम खर्च कर सकेगा, और ऐसी रकम, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अनुदानों में से देय खर्च के रूप में मानी जायेगी।

१३. (१) आयोग, उचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाये रखेगा और ऐसे प्ररूप में लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, महालेखापाल के परामर्श से, विहित किया जाये।

लेखा और
लेखापरीक्षण।

(२) आयोग के लेखाओं का लेखापरीक्षण महालेखाकार द्वारा, ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा जैसा कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये और ऐसे लेखापरीक्षण के संबंध में उपगत कोई खर्च, आयोग द्वारा महालेखापाल को देय होगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में महालेखापाल और उसके द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को, ऐसी लेखापरीक्षक के संबंध में वही अधिकारी और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जैसे सरकारी लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में साधारणतया महालेखापाल को होते हैं और विशिष्टतया बहियाँ, लेखे, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागजातों को प्रस्तुत करने की माँग करने और आयोग के किसी भी कार्यालयों की जाँच करने का अधिकार होगा।

(४) इस निमित्त महालेखापाल या उनके द्वारा सम्यक्ता नियुक्त या प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग की लेखा परीक्षा साथ ही उसपर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सरकार को अर्पित की जायेगी।

- वार्षिक रिपोर्ट । १४. (१) आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय में, जैसा कि विहित किया जाये पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने क्रियाकलापों का संपूर्ण लेखा देकर उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
- वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखी जायेगी। १५. राज्य सरकार से वार्षिक रिपोर्ट, उसमें अंतर्विष्ट की गई सिफारिशों पर, की गई कार्रवाई के ज्ञापन और सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट उसे प्राप्त होने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

अध्याय पाँच

विविध

- आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोकसेवक होंगे। १६. (१) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय न्याय संहिता, २०२३ सन् २०२३ का ४५। की धारा २, की उप-धारा (२८) के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझे जायेंगे।
- सद्भावनापूर्वक कृत कार्य के लिये संरक्षण। १७. इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियमों या आदेशों के अनुसरण में, सद्भावनापूर्वक कृत या करने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में, या तो सरकार या आयोग के निदेशन के अधीन आयोग के किसी सदस्य या आयोग के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जायेगी।
- विनियम बनाने की शक्ति। १८. आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन उपबंधित सभी या किन्हीं मामलों के लिए इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न होनेवाले **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकेगा।
- नियम बनाने की शक्ति। १९. (१) राज्य सरकार, आयोग के परामर्श से **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।
- (२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो, या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो और यदि उस सत्र के जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिये सहमत हो की नियम न बनाया जाये, और उस प्रभाव के अपने विनिश्चय को **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं तो नियम **राजपत्र** में ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा, या, यथास्थिति निष्प्रभावी हो जायेगा तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
- कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति। २०. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि, कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई के निराकरण प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :
- परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसित होने के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।
- (२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

१. महाराष्ट्र सरकार ने, देखिए दिनांकित १ मार्च २०२५ का सरकारी संकल्प, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य और विशेष सहायता विभाग, क्रमांक आर ए एम ए ए-२००३/सी. आर. क्रमांक १७५/मावक-१ सामाजिक न्याय के लिए नीतियों को लागू करने की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया है।

२. अब, सरकार का अनुसूचित जनजातियों के लिए महाराष्ट्र राज्य में उनको संरक्षित करने तथा उनके हितों के रक्षोपाय करने की दृष्टि से एक अलग सांविधिक आयोग गठित करने तथा उनके कल्याण और विकास के लिए उपचारी उपाय करने के लिए सिफारिश करने तथा आयोग को **अर्थ-न्यायिक** शक्तियों का उपबंध करने का भी इरादा रखती है।

३. इसलिए, सरकार, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने के लिए एक विधि अधिनियमित करना इष्टकर समझती है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ३० जून, २०२५।

डॉ. अशोक ऊईके,
जनजाति विकास मंत्री।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ३० जून, २०२५।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानपरिषद ।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रास्त है, अर्थात् :—

खण्ड १(२).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जिसे राज्य सरकार नियत करे ऐसे दिनांक पर अधिनियम प्रवर्तन में लाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

खण्ड ३(१).— यह खण्ड राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है।

खण्ड ४(५).— यह खण्ड, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को देय मानदेय और भत्ते और ऐसे अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि के निबन्धन और शर्तें विहित करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की है।

खण्ड ५(२).— यह खण्ड आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा उनके सेवा के निबन्धन तथा शर्तें विहित करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है।

खण्ड १०(च).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण, कल्याण विकास और उन्नति करने के संबंध में ऐसे आयोग को अन्य कृत्यों को नियमों द्वारा विहित करने के अधिकार प्रदान करता है।

खण्ड १३(१).— यह खण्ड राज्य सरकार को वह प्ररूप जिसमें वार्षिक लेखा विवरणी आयोग द्वारा तैयार की जायेगी, के लिए अधिकार प्रदान करता है।

खण्ड १४.— यह खण्ड राज्य सरकार को वह प्ररूप जिसमें समय जिस पर वार्षिक रिपोर्ट आयोग द्वारा तैयार करने के लिए, विहित करने के लिए अधिकार प्रदान करता है।

खण्ड १८.— यह खण्ड आयोग को, इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित सभी या किसी मामलों के लिए, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से विनियम बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है।

खण्ड १९(१).— यह खण्ड राज्य सरकार को, अधिनियम के प्रयोजनों का कार्यान्वयन करने के लिए **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है।

खण्ड २०.— यह खण्ड राज्य सरकार को, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में उद्भूत कोई कठिनाई का निराकरण करने के लिए **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो ऐसे उपबन्ध करने के लिए अधिकार प्रदान करता है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड ३(१) राज्य स्तर पर महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने के लिए उपबंध करता है। महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग, अध्यक्ष, सदस्य और अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और, ऐसे अधिकारी और कर्मचारी भी जो आयोग के कृत्यों के प्रभावी अनुपालन करने के लिए आवश्यक हो सके का उपबंध करेगा। अध्यक्ष और सदस्यों को देय मानदेय और भत्ते तथा कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते प्राथमिक चरण पर अन्य प्रशासनिक व्यय, उस निमित्त सम्यक् बनाए गए विनियोग द्वारा, राज्य सरकार के ज़रिए आयोग को दिए गए अनुदानों में से अदा किए जायेंगे। प्रस्तुत विधेयक में राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिति पर राज्य के लिए समेकित निधि में से चार करोड़ बीस लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय अंतर्विष्ट हो सकेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।